



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)


क्रमांक एफ 37()पंरावि/प्र.2/मंत्रा/स्था-प्रथम/2018/ 4181 जयपुर दिनांक: 5-10-2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद जोधपुर ।

विषय :- कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत।
संदर्भ :- विभागीय पत्रांक 3362 दिनांक 25.07.2018।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विभागीय पत्रांक 3362 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा श्री अशोक कुमार राठी, वरिष्ठ सहायक, पंचायत समिति लूणी (जोधपुर) का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति लूणी से पंचायत समिति सेखाला करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश निरस्त कर श्री राठी को यथावत पंचायत समिति लूणी में रखा जावे।


(दिनेश कुमार जागिड.)
संयुक्त सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लूणी/सेखाला (जोधपुर)।
4. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त